

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय-लखनऊ

परिपत्रांक-सी-106 / लेखा / 2018-19

दिनांक 27-03.2019

समस्त शाखा प्रबंधक,
उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- वार्षिक सामान्य बीमा के अन्तर्गत "बाडी इंजरी बीमा" सम्बंधी सूचना।

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रधान कार्यालय के परिपत्रांक सी-94/लेखा/2017-18, दिनांक 08.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शाखा के कैशियर सहित एक अन्य बैंक कर्मी जो कैश लाने/ जमा करने में कैशियर की सहायता करता है, का बाडी इंजरी बीमा कराने हेतु निम्न प्रारूप पर सूचना मांगी गई थी:-

क्र०सं०	कैशियर/सहायक बैंक कर्मी का नाम	पद	जन्म तिथि
1			
2			

वर्ष 2018-19 की अविधि हेतु कराये गये सामान्य बीमा की अवधि समाप्त होने वाली है। अतः आपसे अपेक्षित है कि अपनी शाखा से सम्बंधित उक्त सूचना मण्डलीय शाखा को तत्काल उपलब्ध करा दें। मण्डलीय शाखा द्वारा शाखावार संकलित सूचना दिनांक 31.03.2019 तक प्रधान कार्यालय को निम्न ई-मेल पर प्रेषित की जायेगी। उक्त सूचना प्रेषित न करने वाली शाखा के कैशियर/सहायक बैंक कर्मी का बाडी इंजरी बीमा कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

E-Mail-ddoldbho@Gmail.Com

(शैलेश आनन्द)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संकलित सूचना दिनांक 15.03.2018 तक प्रधान कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
3. वरिष्ठ प्रबंधक (ITCell), उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी